



षोडश
बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 05 अगस्त, 1941 (श०)
26 नवम्बर, 2019 (इ०)

प्रश्नों की कुल संख्या 03

(1) शिक्षा विभाग	..	01
(2) समाज कल्याण विभाग	..	01
(3) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग	..	01
कुल योग --		<u>03</u>

कार्रवाई करना

4. श्री ललित कुमार यादव--स्थानीय हिन्दी समाचार-पत्र में दिनांक 16 नवम्बर, 2019 को प्रकाशित शीर्षक "222 संबद्ध कॉलेजों में नामांकन घोटाला" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 10 विश्वविद्यालयों के 222 संबद्ध डिग्री कॉलेजों द्वारा स्वीकृत सीटों से 2 गुना अधिक छात्रों के नामांकन/परीक्षा में शामिल करकर घोटाला किया गया है, जो अनुदान का दावा करने वाले डिग्री कॉलेजों के प्रस्ताव की जाँच से उजागर हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे कॉलेज हैं, जहाँ अस्थायी संबंधन या बिना संबंधन के हजारों छात्रों का नामांकन किया गया है तथा परीक्षा पास करकर अनुदान का दावा सरकार से किया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार गलत अनुदान का दावा करने वाले जैसे डिग्री कॉलेजों के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करना

5. श्री ललित कुमार यादव--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के आई0सी0डी0एस0 विभाग के पत्रांक 622, दिनांक 16 फरवरी, 2019 के आदेश के अनुसार राज्य के किसी ग्राम पंचायत के वार्ड निवासी को ही वार्ड में सेविका/सहायिका के पद पर चयन करने का सरकार का निर्णय है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खंड (1) में वर्णित विभागीय आदेश को अवहेलना कर राज्य के जिलों यथा दरभंगा जिला के दरभंगा सदर प्रखंड के अदलपुर एवं कंसी पंचायत के वार्ड नं० 1 के निवासी को वार्ड नं० 2 में सेविका एवं सहायिका के पद पर एवं मधुबनी जिला के कलुआही प्रखंड के कालिकापुर पंचायत के वार्ड नं० 8 के निवासी को वार्ड नं० 7 में सेविका एवं सहायिका के पद पर चयन कर नियुक्त किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड (1) में वर्णित आदेश का अनुपालन न कर खंड (2) में की गई अनियमित चयन प्रक्रिया सहित राज्य के अन्य जिलों में भी ऐसे मामले की जाँच कराकर दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रवृत्ति प्रदान करना

6. श्री शिवचन्द्र राम--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र एवं छात्राओं को वर्ष 2010 से छात्रवृत्ति की राशि नहीं दी जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :

दिनांक 26 नवम्बर, 2019 (ई०) ।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,

सचिव,

बिहार विधान सभा ।

बि०स०मु०, 100 (एल०ए०), 2019-20-डी०टी०पी०-550